07.04.25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि पत्रावली आगे चलाना नहीं चाहते है लिहाजा अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार नकल के बाद हाजर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

24